



The Bihar Gazette

EXTRA ORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

7 PHALGUNA 1937(S)
(NO.PATNA 179) PATNA, FRIDAY, 26TH FEBRUARY 2016

BIHAR ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, PATNA

NOTIFICATION

The 25th February, 2016

Bihar Electricity Supply Code (5th Amendment) 2016

No. BERC Case No.- 27/2015-01—In exercise of powers conferred under Section 181(1) and 181(2)(x) read with Section 50 of the Electricity Act, 2003 and for removal of difficulties of various stakeholders, Bihar Electricity Regulatory Commission hereby makes the 5th amendment in Bihar Electricity Supply Code, 2007 which was originally issued vide Notification No. BERC/Reg-6/2006/529 dated 31st December, 2007 and published in the Extraordinary Bihar Gazette on 10th January, 2008. The Notification of first amendment was published in Bihar Gazette No. 603 dated 18th August, 2010, second amendment in Gazette No. 120 dated 29th March, 2012, third amendment was published in Gazette No. 172 dated 4th March, 2013 and the fourth amendment was published in Gazette No. 585 dated 19th May, 2015.

5th Amendment to Bihar Electricity Supply Code, 2007

1. Short title and commencement:-

- (i) This code may be called the “Bihar Electricity Supply Code (5th Amendment), 2016.
- (ii) It shall extend to the whole State of Bihar.
- (iii) This shall come into force with effect from the date of publication in Bihar Gazette.

2. Amendment in chapter 3

Clause 3.4

The Clause 3.4 shall be substituted by the following:-

"The supply voltage for different contract demands shall be normally as follows:-

Supply Voltage	Minimum Contract Demand	Maximum Contract Demand
230 Volts	-	Upto 7 KW
400 Volts	5 KW and above (3 phase)	70 KW
11 KV	50 KVA	1500 KVA
33 KV	1000 KVA	15000KVA
132 KV	7500 KVA	-
220 KV	10,000 KVA	-

L.T Agriculture and L.T Industrial consumers of load between 2KW & 5KW shall have option to avail supply at 230 Volts or 400 Volts."

3. Amendment in chapter 4

Clause 4.11

The format of the application form as provided in Annexure-1 (L.T. Connection) shall be replaced by the format of the application form provided in Annexure 1 (Hindi version) and Annexure-1A (English version).

4. Amendment in chapter 7

(i) Addition of new sub clause 7.4 (i)

A new sub clause 7.4 (i) shall be added at the end of existing sub clause 7.4 (h) of the code.

"7.4(i) If the actual recorded demand of a consumer having demand based tariff exceeds 110% of the contracted demand, consecutively for three months, the licensee shall issue a notice informing the consumer to get additional contract demand sanctioned as per the tariff or to limit their drawl as per their contract.

In case the consumer does not respond to the notice within 30 days of issue of notice to get additional demand sanctioned as per the tariff or limit their drawal as per the contract, the licensee may disconnect the supply to the consumer, after serving fifteen days notice.

However, the distribution licensee may revise and enhance the contract demand as per the tariff of the consumer to the extent of highest demand recorded in the past three months of the violation, provided the consumer agrees for the same."

(ii) Addition of new sub clause 7.4 (j)

A new sub clause 7.4(j) shall be added at the end of sub clause 7.4(i)

"7.4(j) If on inspection of premises of a consumer having connected load based tariff, the connected load is found to be in excess over the contracted/sanctioned load, the licensee shall issue a notice and inform the consumer to get additional connected load sanctioned as per the tariff or limit the drawl as per sanctioned load.

In case the consumer does not respond to the notice within 30 days of issue of notice to get additional load sanctioned as per the tariff or limit drawl as per sanctioned load, the licensee may disconnect the supply to the consumer after serving fifteen days notice,

However the distribution licensee may revise and enhance the sanctioned load as per the tariff of the consumer to the extent of connected load found on inspection provided the consumer agrees for the same."

(iii) Sub clause 7.11(3)

The sub Clause 7.11 (3) shall be substituted by the following:-

"The application for enhancement of the contract demand shall not be rejected on the ground of any arrears of payment of the licensee's dues, if the electricity connection of the consumer is running."

(iv) Sub clause 7.15(3)

The following portion appearing after '*previous 12 months*' in sub clause 7.15(3) of the code shall be deleted:-

"For LT consumer and half yearly on the basis of consumption during the previous six months for HT/EHT consumers."

5. Amendment in Chapter 9**(i) Clause 9.1**

In the chart under clause 9.1 the first row shall be replaced by the following:-

Consumer category	Meter reading & billing
Domestic Rural (DS-I) and <i>Kutir Jyoti (KJ)</i>	Meter Reading - Quarterly Billing - Monthly Explanation:-Every one Third of the consumer will be billed at appropriate slab-rate on actual quarterly meter reading adjusting the unit billed on average or MMC basis for previous two months during which reading was not taken and billing was done on average or MMC basis.

(ii) Clause 9.15

The following shall be added at the end of clause 9.15 of the code:-

"However non filing of report or abnormality report, if any filed by the meter reader shall not over rule the Meter Reading Instrument (MRI) report and/or the report of National Accreditation Board of Testing and Calibration Laboratory (NABAL) accredited Laboratory."

(iii) Addition of new sub clause 9.20 (cc)

A new sub clause 9.20(cc) shall be added as stated below:-

"9.20(cc) Total hours of supply during billing cycle shall be indicated/mentioned in the bill. However this provision shall apply to such consumers only where energy meter has facility of recording total hours of supply during billing cycle."

(iv) Clause 9.23

The following shall be added at the end of Clause 9.23:-

"However, if sought by the consumer(s), the licensee shall have an obligation to provide the details of arrears and DPS indicating clearly the period and amount of the same."

By order of the Commission,
PARMANAND SINGH,
Secretary.

Annexure – 1

(See Clause 4.11)

(पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी का नाम)
निम्न विभव विद्युत आपूर्ति के लिए आवेदन।

सेवा में,

सहायक विद्युत अभियंता/कनीय विद्युत अभियंता
विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल/प्रशाखा

कार्यालय उपयोग हेतु (स्वीकृत/अस्वीकृत)

1. आवंटित उपभोक्ता सं०-.....
2. स्वीकृत भार KW/HP
3. स्वीकृत संवर्ग.....
4. मीटर सं०

महाशय,

मेरे/हमारे पंजीकृत पार्टनरशीप फर्म/अपंजीकृत पार्टनरशीप
फर्म/पब्लिक लिमिटेड कंपनी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी

(व्यक्ति या कंपनी या फर्म का नाम)

**पासपोर्ट
साईज फोटो**

के परिषर (ब्यौरा निम्न) में कोटि मेंKW/HP का विद्युत आपूर्ति के लिये
आवेदन।

1. आवेदक का नाम :
- पिता /पति का नाम:

2. (क) आवेदक का पता:

स्थायी:	वर्तमान:
मोबाईल संख्या-	दूरभाष संख्या
ई मेल आई डी-	

(ख) आवेदित परिसर की विस्तृत विवरणी (संलग्न दस्तावेज के अनुसार अनिवार्य रूप से भरी जाए):

परिसर के स्वामी का नाम	
मकान संख्या/मकान का नाम/प्लॉट संख्या	
रोड संख्या/रोड/स्ट्रीट/गली का नाम	
वार्ड नं०	
मोहल्ला का नाम	
गाँव /शहर का नाम	
थाना	
पोस्ट ऑफिस	
जिला	

(ग) यह आवेदन है :-

- नये विद्युत संबंध हेतु (कोटि.....भार.....KW/HP)
- भार वृद्धि हेतु (.....KW/HP सेKW/HP)
- भार घटाने हेतु (.....KW/HP सेKW/HP)
- संवर्ग परिवर्तन हेतु (संवर्गसे संवर्ग)
- विद्युत संबंध स्थानान्तरण हेतु (..... स्थान से स्थान पर)
- नाम परिवर्तन हेतु (श्री/श्रीमति..... से श्री/श्रीमति
- अस्थायी/सिजनल.....(कोटि.....भार.....KW/HP)

(घ) निम्नलिखित कोटि में.....किलोवाट/एचपी विद्युत भार के लिए

1.	कुटीर ज्योति ग्रामीण/शहरी (सही विकल्प लिखें)
2.	डी०एस०-I/डी०एस०-II/डी०एस०-III/डिमांड आधारित	
3.	एनडीएस-I/एनडीएस II/एनडीएस III/ डिमांड आधारित	
4.	एलटीआईएस-I/एलटीआईएस-II/डिमांड आधारित	
5.	आईएस-I/आईएस-II	
6.	पीडब्लूडब्लू	
7.	स्ट्रीट लाईट	

3. (क) आवेदित परिसर मेरे/हमारे स्वामित्व में है। (स्वामित्व संबंधी दस्तावेज की प्रति संलग्न करें)

(ख) किराये पर लिया गया है। (परिसर के स्वामी के साथ किरायानामा की प्रति या मकान मालिक का

अनापत्ति संलग्न करें) (सही विकल्प चुनें)

4. पहचान एवं आवासीय पता हेतु संलग्न दस्तावेज निम्न तालिका के अनुसार एक-एक दस्तावेज अनिवार्य (छायाप्रति संलग्न करें)। (सही विकल्प चुनें)

क्र०सं०	पहचान हेतु प्रमाणित दस्तावेज	आवासीय पता हेतु प्रमाणित दस्तावेज
1.	पासपोर्ट	पासपोर्ट
2.	पैन कार्ड	राशन कार्ड/बी०पी०एल०/ ए०पी०एल०/अन्त्योदय कार्ड
3.	आधार कार्ड	आधार कार्ड
4.	मतदाता पहचान पत्र	मतदाता पहचान पत्र
5.	ड्राइविंग लाइसेंस	ड्राइविंग लाइसेंस
6.	नियोक्ता पहचान पत्र	आवासीय प्रमाण पत्र
7.	पेंशन पेमेन्ट आर्डर (P.P.O)	बैंक पासबुक
8.	अन्य प्रमाणित दस्तावेज	अन्य प्रमाणित दस्तावेज

5. आवेदित परिसर में चालू अन्य विद्युत संबंध की विवरणी (यदि कोई हो):

उपभोक्ता संख्या	उपभोक्ता का नाम	टैरिफ श्रेणी	स्वीकृत भार (किलोवाट/एचपी में)	बकाया राशि

6. सम्बद्ध भार की विवरणी :-

क्रम संख्या	उपकरण की विवरणी	उपकरण की संख्या	उपकरण की ईकाइ भार	कुल भार (किलोवाट/एचपी में)
(i)	लाईटिंग लोड			
(ii)	पंखा			
(iii)	छोटे पावर उपकरण का भार			
(iv)	हीटर			
(v)	एयर कंडिशनर			
(vi)	गीजर			
(vii)	मोटर			
(viii)	वैल्विंग सेट			
(ix)	अन्य भार अगर कोई हो			
बिद्युत भार का कुल योग के0डब्लू/एच0पी0				

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदक द्वारा घोषणा :

7. मैं/हम.....शपथ पूर्वक सत्य निष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ करते हैं कि :-
1. मैं/हम विद्युत आपूर्ति आरंभ करने हेतु एकरारनामा के प्रभावी होने की तिथि से बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता द्वारा न्यूनतम निर्धारित अवधि के लिए उपरोक्त उद्देश्य हेतु विद्युत का उपभोग करने अथवा, उक्त अवधि तक कम से कम न्यूनतम मासिक शुल्क अथवा वास्तविक शुल्क का भुगतान करेंगे।
 2. मैं/हम बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 के नियमों एवं शर्तों का पालन करेंगे, तथा इन नियमों के अधीन मुझे/हमें की जाने वाली विद्युत आपूर्ति की दर निर्धारित होगी तथा मैं/हम प्रभावी टैरिफ द्वारा निर्धारित विभिन्न शुल्कों का भुगतान करेंगे।
 3. यदि विद्युत शुल्कों का भुगतान मेरे/हमारे द्वारा नहीं किया जाता है तो उसकी वसूली बिहार एण्ड उड़िसा पब्लिक डिमाण्ड रिक्वरी एक्ट तथा बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2007 के तहत मुझसे की जा सकती है।
 4. मैं/हम लाईसेन्सी द्वारा निर्धारित एकरारनामा के विहित प्रपत्र में सम्पादित करेंगे तथा यदि एकरारनामा सम्पादित हो अथवा न हो, तब भी विद्युत आपूर्ति के लिए निर्धारित नियम एवं शर्तें मेरे/हमारे लिए बाध्यकारी होंगी।

स्थान.....
तिथि.....

आवेदक का हस्ताक्षर
आवेदक का पूरा नाम एवं पता

मोबाईल नं०
ई-मेल (ऐच्छिक)

कार्यालय उपयोग हेतु

8. (यह आवेदन मूलरूप से निष्पादन के उपरांत संबंधित वि०आ०, अ० प्रमंडल को संधारण हेतु लोटा दी जाय)।

(क) आवेदक द्वारा आवेदन के साथ भुगतान की गयी राशि की विवरणी (रु० में)

आवेदित भार	टैरिफ श्रेणी	आवेदन शुल्क (रु० में)	मजदूरी पर्यवेक्षण एवं स्थापना शुल्क (रु० में)	कुल राशि	रसीद संख्या
किलोवाट/एचपी					
प्रतिभूति राशि (रु० में)			प्रतिभूति राशि की रसीद संख्या		

आवेदन प्राप्ति की तिथि :-

.....
कनीय विद्युत अभियंता/सहायक विद्युत का हस्ताक्षर

(ख) निरीक्षण प्रतिवेदन:-

1. आवेदित परिसर पर वर्तमान में यदि विद्युत संबंध है:- उपभोक्ता क्रमांक.....
2. आवेदित परिसर को विद्युत संबंध देने हेतु ट्रांसफार्मर :- डी०टी० कोड
3. परिसर में पूर्व के विद्युत बकाया यदि हो का विवरणी :-

.....
(विभागीय लाईन मैन) का हस्ताक्षर कनीय विद्युत अभियंता का हस्ताक्षर सहायक विद्युत अभियंता का हस्ताक्षर

(पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी का नाम)
निम्न विभव विद्युत आपूर्ति के लिए आवेदन।

पावती

1. आवेदक का नाम
2. जमा दस्तावेज की अभिप्रमाणित छायाप्रति/मूलप्रति (पैनकार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स/आधार कार्ड/वोटर कार्य/पासपोर्ट/बीपीएल/बैंक पासबुक/पोस्ट ऑफिस कार्य/अन्य/...../...../.....)
3. आवेदक द्वारा आवेदन के साथ भुगतान की गयी राशि की विवरणी:-

ओवदित भार	टैरिफ श्रेणी	आवेदन शुल्क	मजदूरी पर्यवेक्षण एवं स्थापना शुल्क (रु० में)	कुल राशि	रसीद संख्या एवं दिनांक	प्रतिभूति राशि	रसीद संख्या एवं दिनांक
..... किलोवाट/एचपी							
रजिस्ट्रेशन नंबर	विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल		विद्युत आपूर्ति प्रशाखा		तिथि	प्राप्तकर्ता पदाधिकारी/कर्मचारी का हस्ताक्षर	

(पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी का नाम)
निम्न विभव विद्युत आपूर्ति हेतु
आवेदकों के लिए सामान्य अनुदेश

1. सिंगल फेज कनेक्शन के लिए संबंधित कनीय विद्युत अभियंता को तथा थ्री फेज लोड के लिए सहायक विद्युत अभियंता को आवेदन करें।
2. आवेदक इस आवेदन के साथ देय आवेदन शुल्क प्रतिभूति राशि, प्राक्कलित राशि आदि का आकलन संलग्न तालिका से करते हुए इन सभी का भुगतान तथा अनुलग्नकों के साथ कंपनी के स्थानीय कलेक्शन काउन्टर पर जमा करें।
3. आवेदन करने के लिए कनीय विद्युत अभियंता या सहायक विद्युत अभियंता के हस्ताक्षर या पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं है।
4. आवेदक तत्काल संबंध के लिए आवेदन कर सकता है जिसके तहत आवेदक को सामान्य दर की दोगुणी राशि या समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित राशि जमा करनी होगी तथा आधे समय में आवेदक को विद्युत संबंध दे दिया जायेगा।
5. उपभोक्ता द्वारा आवेदन के समय विभिन्न मदों में जमा की जाने वाली राशि (दर प्रति वर्ष बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्गत टैरिफ आदेश के द्वारा पूर्ण निर्धारित होती है। प्रभावी दर समय-समय पर परिवर्तनीय है। आवेदक प्रभावी दर की जानकारी ले लें)।

क्र०सं०	आवेदित भार	आवेदन शुल्क (रु० में)	प्रतिभूति राशि (रु० में)	मजदूरी पर्यवेक्षण एवं स्थापना शुल्क (रु० में)	कुल राशि (रु० में)
i.	कुटीर उद्योग	20	शून्य	400	420 (Fixed)
ii.	एलटी सिंगल फेज (कुटीर ज्योति को छोड़कर)	75	रु 400 (घरेलू) 1200/किलोवाट या/ एचपी (अन्य)	400	रु 475 (Fixed) + 400/किलोवाट (घरेलू) 1200/किलोवाट (अन्य)
iii.	एलटी थ्री फेज (इन्डस्ट्रीयल को छोड़कर)	200	रु 400 (घरेलू) 1200/किलोवाट या/ एचपी (अन्य)	900	रु 1100 (Fixed) + 400/किलोवाट (घरेलू) 1200/किलोवाट (अन्य)
iv.	एलटी इन्डस्ट्रीयल	300	1200/एचपी	1500	रु 1800 (Fixed) + 1200/एचपी
v.	तत्काल कनेक्शन के लिए		सामान्य दर की दोगुणा राशि (प्रतिभूति राशि को छोड़कर)		

6. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभागों तथा कुटीर ज्योति के उपभोक्ताओं को प्रतिभूति राशि नहीं जमा करनी है। लेकिन लोक उपक्रम तथा स्थानीय निकायों को प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी।
7. विभिन्न कोटि के आवेदकों द्वारा आवेदन शुल्क प्रतिभूति राशि मजदूरी, पर्यवेक्षण एवं स्थापना शुल्क का अग्रिम भुगतान किया जायेगा।
8. नये विद्युत संबंध में लिए समस्त सामग्री (मीटर छोड़कर) आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। विशेष परिस्थिति में मीटर आवेदक द्वारा उपलब्ध कराने पर मीटर जाँच शुल्क (सिंगल फेज-100 रु०, थ्री फेज, सी०टी० के साथ 300 रु०) आवेदक द्वारा देय होगा।
9. उपरोक्त राशि शुल्क समय-समय पर निर्गत टैरिफ आदेश के अनुसार परिवर्तनीय होगी।
10. उन मामलों में जहाँ आवेदक को नये विद्युत संबंध देने के लिए लाईसेन्सी को अपने डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स के विस्तार करने की आवश्यकता है, लाईसेन्सी विद्युत् आपूर्ति संहिता 2007 की कडिका 4.21 तथा 4.22 के अधीन आवेदक को अतिरिक्त कार्य हेतु प्राक्कलन समर्पित किया जायेगा। ऐसे अतिरिक्त प्राक्कलित राशि का भुगतान आवेदक द्वारा नियत अवधि के अंदर किया जायेगा।
11. अगर उक्त मद में आवेदक द्वारा जमा की गई राशि वास्तविक राशि से कम होगी तब अंतर की राशि उनके अगले विपत्र में भारित कर दी जायेगी।

12. घरेलू उपभोक्ता के लिए कुलर/पंखा या रूम हीटर में जिसका भार अधिक हो उसे ही कुल भार में आंकलित किया जायेगा।
13. घरेलू उपभोक्ता के मामले में दिसम्बर, जनवरी तथा फरवरी में रूम हीटर तथा गीजर के भार तथा अप्रील से सितम्बर माह तक एयर कंडिशनर (बिना हीटर) का भार आंकलित होगा।
14. अपने परिसर के विद्युत भार की गणना के लिए निम्नलिखित तालिका का प्रयोग करे।

सामग्री	विद्युत शक्ति दर
वलब	वास्तविक भार
पंखा	20 / 40 वाट
ट्यूब लाईट 2 / 4	60 वाट
टेप-रिकॉर्डर / म्यूजिक सिस्टम	25 वाट
वेक्युम क्लीनर	250 वाट / वास्तविक भार
टैलीविजन-रंगीन	100 वाट / वास्तविक भार
टैलीविजन-ब्लैक एण्ड वाईट (सादा)	60 वाट / वास्तविक भार
मिक्सी	60 वाट / वास्तविक भार
फ्रीज	200 वाट / वास्तविक भार
कुलर	200 वाट / वास्तविक भार
हीटर (पानी गर्म तथा खाना बनाने के लिए)	1000 वाट / वास्तविक भार
वाशिंग मशीन (बिना ड्रायर मोटर के)	250 वाट / वास्तविक भार
गीजर	1500 / 2000 / 2250 वाट / वास्तविक भार
स्लीट एयर कंडिशनर 1.5टन / 2.0 टन	2250 वाट / वास्तविक भार
विडो एयर कंडिशनर 1.00टन / 1.5 टन / 2.0टन	1500 / 2000 / 2250 वाट / वास्तविक भार
कम्प्यूटर	100 वाट
प्रिन्टर	150 वाट
वाटर लिफ्टिंग पम्प सेट	375 वाट / वास्तविक भार
इन्वर्टर	शून्य

15. पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के उपभोक्ता अपनी शिकायत अपने क्षेत्र में अवस्थित उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) में कर सकते हैं।

Annexure – 1 (A)

(See Clause 4.11)

(Name of Power Distribution Company)

Application for Supply of Electricity (Low Tension Supply)


To,

ASSISTANT ELECTRICAL ENGINEER/
JUNIOR ELECTRICAL ENGINEER
ELECTRICAL SUPPLY SUB-DIVISION/SECTION

For official use (Sanctioned/Rejected)
Allotted Consumer No.....
1. Sanctioned Load.....KW/HP
2. Sanctioned Category.....
3. Meter No.....

Sir,

I/We Registered Partnership Firm/Un-Registered Partnership Firm/Public Ltd. Company/Private Ltd. Company.



(Name of Individual/Company/Firm)

Application for supply of electricity for the premises (mentioned below) in category..... for..... KW/HP Load.

1. Name of the applicant :
S/o, w/o :

2. (a) Address of the applicant :

Permanent	Present
Mobile No.	Tel. No.
E-mail	

(b) Details of Premises where supply of Electricity required. (Enclose Documents):-

Name of Owner of the Premises	
House no/Name of house/Plot no	
Road no/Road/Street/Name of lane	
Ward no.	
Name of Mohalla	
Village/Name of the Town	
Police Station	
Post Office	
District	

(c) This Application is for:-

- A new Service Connection (Category.....Load.....KW/HP)
- Enhancement of Load (From.....KW/HP to.....KH/HP)
- Reduction of Load (From.....KW/HP to.....KH/HP)
- Change of Category (.....Category to.....Category)
- Change of Name (Sri/Smt.....to Sri/Smt.....)
- Shifting of Service Connection (.....to.....)
- Temporary from.....to..... (.....Category for.....KW/HP Load)
- Seasonal from.....to.....yearly (.....Category for.....KW/HP)

(d) Category of Supply for:.....KW/HP Load in the Category:-

8.	Kutir Jyoti (KJ)-Rural/Urban	----- (Write Actual Option)
9.	DS-I/DS-II/DS-III/Demand based	
10.	NDS-I/NDS-II/NDS-III/ Demand based	
11.	LTIS-I/ LTIS-II/ Demand based	
12.	IAS-I/ IAS-II/	
13.	PWW	
14.	Street light	

3. Premises in which supply is required :-**(a) Is owned by me/us (Enclose documents of ownership)** **Or****(b) Is on rent/lease (Enclose rent/lease deed or no objection of the Land lord to take electricity connection).** **(Write Actual Option)** **4. Document for Identity proof and address proof one for each is essentially required (enclose photo copy)****(Write Actual Option)**

Sl. No.	For Identity proof	For address proof
1.	Passport	Passport
2.	PAN Card	Rasan Card/BPL/APL/Antyodaya Card
3.	AAdhar Card	AAdhar Card
4.	Voter Identity Card	Voter Identity Card
5.	Driving License	Driving License
6.	Employee Identity Card	Residential Certificate
7.	Pension Payment Order	Bank Passbook
8.	Others Certified documents	Other Certified documents

5. Details of any other service connection existing in the premises if any:-

Consumer no.	Name of the consumer	Tariff Category	Sanctioned Load inKW/HP	Dues in (Rs.)

6. Details of Load:-

Sl. No.	Details of Appliances	No. of appliances	Load of unit appliance	Total Load (KW/HP)
1	Lighting Load			
2	Fans			
3	Small power appliances			
4	Heater			
5	Air Conditioner			
6	Geysers			
7	Motor			
8	Welding set			
9	Other Loads			
Total Load KW/HP				

.....
Signature of Applicant.

Declaration by the Applicant.

7. I/Wesolemnly affirm and declare (s) that:-
- I. I/We undertake to avail supply of Energy for the above mentioned purpose for minimum period specified in the Bihar Electricity Supply Code 2007 or to pay the actual charge or minimum monthly charges as the case may be for the above minimum period.
 - II. I/We shall abide by the terms and condition specified in the Bihar Electricity Supply Code 2007 notified by the Bihar Electricity Regulatory Commission and shall pay the various charges as per the effective tariff determined under the above mentioned code.
 - III. In the event of non-payment of above charges, it shall be recoverable from me/us as public demand under the Bihar and Orissa Public Demand & Recovery Act and Bihar Electricity Supply Code, 2007.
 - IV. I/We shall undertake to execute an Agreement in the form prescribed by the licensee, whether such an agreement is executed, or not I/We shall abide by the terms and conditions of supply notified by the Bihar Electricity Regulatory Commission.

Place.....
Date.....

.....
Signature of Applicant
Full Name and
Address of applicant

Mobile No.
E-Mail Address (optional)

For Official Use

8. (After disposal this application in original be returned to the concerned Electric Supply Sub-division for record).

(a) Details of payment made by the applicant :-

Applied Load	Tariff Category	Application fee (Rs.)	Labour, Supervision and Establishment charge (Rs.)	Total Amount (Rs.)	Receipt no.
..... KW/HP					
..... securitys Amount			Receipt no. of securities deposit		

Date of Receipt of Application

Junior Elect. Engr./Asst. Elect. Engr.

(b) Inspection Report

- 1. If any electric connection is existing in the premises: - Consumer no.....
 - 2. Transformer for giving connection: - DT Code.....
 - 3. Details of dues in the premises if any: -
-
- Signature (Deptt. line man) Signature of J.E.E Signature of A.E.E

(Name of the Distribution Company)

Application for Supply of Electricity Low Tension (LT)**Receipt**

1. Name of the applicant.....
2. Copy of documents enclosed (PAN/Driving license/Aadhar/Voter I Card/Passport/BPL/Bank Passbook/Post Office/Pass book/Others...../...../.....)
3. Details of the payment made by the Applicant

Applied Load	Tariff Category	Application Fee (Rs.)	Labour, Supervision and Establishment charge(Rs.)	Total Amount (Rs.)	Receipt no and date	Amount of Security (Rs.)	Receipt no and Date
..... KW/HP
Registration no.	Electric Supply sub-division	Electric Supply section			Date	Signature of Receiving officer/staff	

PUBLISHED AND PRINTED BY THE SUPERINTENDENT,
BIHAR SECRETARIAT PRESS, PATNA.
Bihar Gazette (Extra) 179—571+400—Egazette
Website: <http://egazette.bih.nic.in>